सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: NCST/ATY-1756/MH/204/2024-RO-BH

दिनांक: 20.07.2026

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला- पुणे,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
सासून अस्पताल के सामने,
स्टेशन रोड, पुणे-411001
ई-मेल: collector.pune@maharashtra.gov.in

पुलिस अधीक्षक,
जिला-पुणे (ग्रामीण),
कार्यालय पुलिस अधीक्षक,
पुणे (ग्रामीण), महाराष्ट्र
ई-मेल: sp.pune.r@mahapolice.gov.in

विषय: दैनिक समाचार पत्र पुढारी में प्रकाशित खबर ''कायत्याने वार करून मजुराला कारने चिरडले'' के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 15.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/ATY-1756/MH/204/2024-RO-BH
अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई-I

दैनिक समाचार पत्र 'पुढारी' में प्रकाशित समाचार के आधार पर पुणे जिले के ग्राम मांडवी बुद्रुक में अनुसूचित जनजाति परिवार पर प्राणघातक हमले एवं हत्या संबंधी प्रकरण पर दिनांक 15.06.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक : 15.06.2026
अध्यक्षता : माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: अनुलग्नक-I के अनुसार।

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग द्वारा दैनिक समाचार पत्र पुढारी में प्रकाशित समाचार का स्वतः संज्ञान लिया गया। समाचार के अनुसार पुणे जिले के ग्राम मांडवी बुद्रुक में खेतों में मजदूरी करने वाले अनुसूचित जनजाति परिवार के मुखिया पर खेत मालिक द्वारा खेत में कार्य पर नहीं आने के कारण हंसिया से प्राणघातक हमला किया गया तथा बाद में आरोपी द्वारा अपनी कार से पति-पत्नी को कुचलने का प्रयास किया गया, जिसमें पति की मृत्यु हो गई। समाचार में यह भी उल्लेखित था कि पीड़ित परिवार अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के बावजूद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज नहीं किया गया।

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

पुलिस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण) द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि दिनांक 03.07.2024 को आरोपीगण द्वारा मृतक तात्या उर्फ भरत लक्ष्मण वाल्हेकर एवं उनकी पत्नी पर धारदार हथियार से हमला किया गया तथा बाद में कार से कुचलने का प्रयास किया गया, जिससे मृतक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। प्रकरण में आरोपीगण को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा वर्तमान में दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में येरवड़ा केंद्रीय कारागार, पुणे में निरुद्ध हैं। पुलिस द्वारा क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई भी की गई।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख: प्रकरण के संबंध में पूर्व में कोई सुनवाई निर्धारित नहीं की गई थी।

6. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

सुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी, पूणे की ओर से कोइ भी अधिकारी व अभ्यावेदक उपस्थित नही हुए, कार्यालय पुलिस अधीक्षक पुणे के प्रतिनिधि श्री राजेश रामाहारे पोलिस निरीक्षक उपस्थित हुए तथा विभाग का पक्ष प्रस्तुत किया। कार्यालय पुलिस अधीक्षक पुणे ने लिखित प्रतिवेदन

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

दिनांक 15.06.2026 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया गया है कि आयोग के निर्देशानुसार प्रकरण की जांच उप पुलिस अधीक्षक, हवेली उपमंडल के माध्यम से कराई गई तथा विस्तृत प्रतिवेदन पूर्व में आयोग को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण में हवेली पुलिस थाना में अपराध क्रमांक 171/2024 भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1), 109(1), 352, 351(2), 351(3), शस्त्र अधिनियम की धारा 4/27 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(5) के अंतर्गत दर्ज किया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध विवेचना पूर्ण कर दिनांक 29.08.2024 को विशेष न्यायालय, शिवाजीनगर, पुणे में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है तथा एक आरोपी जमानत पर रिहा है।

7. दिनांक 15.06.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. यह अनुशंसा की जाती है कि पीड़ित परिवार की आजीविका एवं पुनर्वास को दृष्टिगत रखते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार देय आर्थिक सहायता/अनुग्रह राशि का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए।

2. उपरोक्त संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट संबंधित अभिलेखों सहित 30 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

15

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

••••••••

फाईल. सं NCST/ATY 1756/MH/204/2024-RO-BH

दिनाक: 15.06.2026

विषय: दैनिक समाचार पत्र पुढारी मे प्रकाशित खबर "कायत्याने वार करून मजुराला कारने चिरडले" के संबध मे आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा लिए गए स्वतः संज्ञान के संबंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष मे दिनांक 15.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2	श्री पूर्णेंदु कांत	निदेशक		
3	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला- पुणे,
जिला कलेक्टर कार्यालय,
सासून अस्पताल के सामने, स्टेशन रोड, पुणे-411001

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				

पुलिस अधीक्षक, जिला-पुणे (ग्रामीण),
कार्यालय पुलिस अधीक्षक, पुणे (ग्रामीण), महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1	राजेश रामघाटे	पोलीस निरीक्षक	7020084080	[signature]
2				
3				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1				
2				
3				
4				